राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं0 305, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: drugcontrolraj@gmail.com
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/ए–I/2017/1909 दिनांक : 13/10/17

समस्त अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान।

विषयः– मै0 हरिश मेडिकल एजेन्सी, फर्स्ट फ्लोर, पंकज मार्केट, अजमेर, राज0 द्वारा प्रस्तुत अपील सं0 42/2017 में माननीय अपीलीय अधिकारी एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 05.10.2017 के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय अपीलीय अधिकारी एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर ने उक्त अपील में आदेश क्रमांक प.27(42) चिस्वा/2017 दिनांक 05.10.2017 से निर्णय पारित करते हुये निर्देशित किया है कि श्री हरिश चंचलानी एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य को औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत औषधि अनुज्ञापत्र जारी नहीं करें।

अतः आप लोग अपने–अपने क्षेत्र में इसकी पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–I/2017/ दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में माननीय अपीलीय अधिकारी एवं शासन सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मै0 हरिश मेडिकल एजेन्सी, फर्स्ट फ्लोर, पंकज मार्केट, अजमेर, राज0 की मालकिन श्रीमती रितु चंचलानी के पति श्री हरीश चंचलानी द्वारा रेस्पोंडेंट को प्रस्तुत किये गये छदम एवं कुटरचित दस्तावेजों के लिये आई.पी.सी. धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की तत्काल कार्यवाही करें एवं मुख्यालय को सूचित करें।
2. औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर, बीकानेर को भेजकर लेख है कि मै0 हरिश मेडिकल एजेन्सी, फर्स्ट फ्लोर, पंकज मार्केट, अजमेर, राज0 के विरूद्ध जितने भी प्रकरण विचाराधीन हैं उनकी वर्तमान प्रगति से अवगत करावें।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि माननीय अपीलीय अधिकारी एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पारित संलग्न निर्णय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें। (संलग्नः– 03)

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प0 27(42)चिस्वा/2017 जयपुर दिनांकः 05.10.2017

अपील संख्या 42/2017

मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी, फर्स्ट फ्लोर, पंकज मार्केट, अजमेर, राज0।

बनाम

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर, राज0।

अपील कार्यालय
औषधि नियंत्रक (राज.) जयपुर
06 OCT 2017
रेस्पोडेन्ट G-449
क्रमांक

निर्णय दिनांकः 05.10.2017

अपील दर्ज की गई। अपीलार्थी ने यह अपील अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर के आदेश संख्या 151 दिनांक 09.08.2017 के विरूद्व की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र संख्या 3241–3242 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित किया है कि उसकी फर्म का निरीक्षण श्री नरेन्द्र कुमार रैगर, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर, श्री मनीष कुमार मोदी, श्री ओमप्रकाश बगडिया, औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर ने संयुक्त रूप से श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक जयपुर की देखरेख में दिनांक 27.02.2017 को किया। रिपोर्ट के आधार पर फर्म को दिनांक 24.05.2017 को कारण बताओ जारी किया गया था। जिसका अपीलार्थी ने दिनांक 31.05.2017 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। औषधि Capsule Pantocid DS B.No. EMR 0571 एवं Oxalgin DP Tab. B.No. 86416141 जवाब के साथ मैसर्स योग ट्रेडर्स, गांधीनगर ,गुजरात के बिल प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार के SkinLite Cream B.No. ZAS 101, & ZAS 102 के क्रय बिल मैसर्स मॉर्डन मेडिकोज नई दिल्ली बिल 02298 दिनांक 01.07.2016 के क्रय बिल प्रस्तुत किये गये। जिसको रेस्पोडेंट द्वारा उक्त बिलों को फर्जी बताया गया, परन्तु उक्त औषधि का राजकीय विश्लेषक जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 3685 दिनांक 30.05.2017 मानक घोषित की गयी। रेस्पोडेंट ने उक्त जवाब को असंतोषजनक घोषित किया।

रेस्पोंडेन्ट ने अपने आदेश में वर्णित किया है कि कि मेडिसिन पॉईट, श्रीगंगानगर के यहां प्राप्त हुई नकली औषधि SkinLite Cream B.No. ZAS 101, & ZAS 102 नकली मिली थी। जिसमें मेडिशीयन पॉइट श्री गंगानगर में यह औषधि मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी अजमेर से बिल नम्बर 1382 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा क्रय करना बताया था जिस पर जयपुर एवं अजमेर की औषधि नियंत्रण संगठन राजस्थान के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दिनांक 27.02.2017 को मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी अजमेर का निरीक्षण फर्म मालिक एवं योग्य व्यक्ति श्रीमती रितु चंचलानी की उपस्थित में किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री रितु चंचलानी से SkinLite Cream B.No. ZAS 101, & ZAS 102 का क्रय बिल मांगा और निरीक्षण के दौरान दो औषधि Capsule Pantocid DSR B.NO. EMR0571 निर्माता सन फार्मा तथा टेबलेट Oxalgin DP B.No. 86416141 का नमूना भी लिया गया। निरीक्षण के दौरान दिनांक 27.02.2017 श्रीमती रितु चंचलानी ने SkinLite Cream B.No. ZAS 101, &

ZAS 102 का क्रय बिल मैसर्स माडर्न मेडिकल एजेन्सी दिल्ली का प्रस्तुत किया गया, जस पर हरिश मेडिकल, अजमेर के नाम से बिल था और दो अन्य बिल औषधियों का क्रय बिल प्रस्तुत नहीं किया। जिसका जवाब दिनांक 08.03.2017 को श्री मनीष कुमाद मोदी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत जिसमें बताया कि उक्त दो औषधियों मैसर्स योग ट्रेडर्स, गांधीनगर, गुजरात से विभिन्न बिलों के द्वारा क्रय किया गया है उक्त दोनों फर्मो के क्रय बिलों को दिल्ली एवं गुजरात से सत्यापन करवाया जाने पर पाया गया कि मैसर्स मॉडर्न मेडिकल एजेन्सी दिल्ली 13/572 के.सी मार्केट भागीरथ पैलेस दिल्ली पर इस नाम की फर्म नहीं है अपितु मैसर्स मॉडर्न मेडिकोज के नाम से दुकान संचालित है और श्रीमती रितु चंचलानी द्वारा दिया गया क्रय बिल फर्जी पाया गया तथा इसी प्रकार योग ट्रेडर्स, गांधीनगर गुजरात का क्रय बिल भी सत्यापन करवाये जाने पर फर्जी पाये गये। जिसके फलस्वरूप फर्म को दिनांक 24.05.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति अवगत कराने को पत्र लिखा गया। जिसका गोलमाल जवाब फर्म ने दिनांक 31.05.2017 को कार्यालय में प्रस्तुत किया, जिस पर फर्म को पुनः बिन्दुवार दस्तावेजी सबूतों के साथ पांच दिन मे जवाब प्रेषित करने के लिए लिखा। जिस पर फर्म ने दिनांक 05.06.2017 को मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी की मालकिन ने जवाब पेश किया, जवाब में "मैसर्स मॉडर्न मेडिकोज, दिल्ली के छद्म व कूटरचित क्रय बिल तथा मैसर्स योग टेडर्स, गुजरात के कूटरचित क्रय बिलों को सही साबित करने के लिए यह बताया कि इन दोनों फर्मो को औषधि का भुगतान बैक से NEFT किया गया था और इसको सही साबित करने के लिए HDFC BANK, Ajmer का फर्जी स्टेटमेंट इस जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसका रेस्पोडेंट द्वारा बैक से सत्यापन करवाये जाने पर बैंक ने दिनांक 07.06.2017 को लिखित में सूचित किया कि मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी का जो स्टेटमेंट बैंक में प्रस्तुत किया गया है वह फर्जी है और सही बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न की गई, उक्त स्टेटमेन्ट की जॉच करने में साबित हुआ कि मैसर्स मॉडर्न मेडिकोज, दिल्ली तथा मैसर्स योग टेडर्स, गांधीनगर, गुजरात को कोई भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया गया। मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी की मालकीन श्रीमती रितु चंचलानी के पति श्री हरिश चचंलानी पूर्व में मैसर्स हरिश मेडिकल के नाम से दुकान चलाते थे, जिसमें जीवन रक्षक औषधि टेबलेट Ceftum (मात्रा शून्य) के अवैध क्रय-विक्रय प्रकरण माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर प्रकरण संख्या 259/99 विचाराधीन है तथा नशे में उपयोग होने वाली औषधि टेबलेट Trika के अवैध क्रय का प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर में प्रकरण संख्या 427/3 विचाराधीन है। नकली जीवन रक्षक औषधि टेबलेट Zifi-200 की एफआईआर संख्या 0317 दिनांक 20.09.2017 अशोक नगर थाना जयपुर में दर्ज है तथा नशे के रूप के उपयोग होने वाले इजेंक्शन Fortwin निर्माता कम्पनी रेनबैक्सी का लगभग 34 लाख इजेक्शन का दिनांक 01.04.2014 से 04.02.2015 तक अवैध तरीके से विक्रय किया गया जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत क्लोक थाना अजमेर में एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसमें अब प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय अजमेर में विचाराधीन है प्रकरण संख्या 3/2016 उक्त इस प्रकरण में श्री हरिश चचंलानी ने जे.एल.एन अस्पताल, अजमेर के फर्जी लेटर पेड तैयार कर रेनबैक्सी कम्पनी को अस्पताल में सप्लाई के फर्जी आदेश तक दिये गये पाये थे। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपील को दिनांक 03.06.2015 को खारीज की थी।

अपील की बहस सुनी गई। अपीलार्थी की ओर अधिवक्त श्री अनिल उपमन एवं विभाग की ओर से श्री ईश्वर सिंह यादव, सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर उपस्थित हुये। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों के दोहराया। Capsule Pantocid DSR B.NO. EMR0571, टेबलेट Oxalgin DP B.No. 86416141 का नमूना भी राजकीय विश्लेषक, जयपुर द्वारा मानक भी पाया गया था। रेस्पोडेंट ने बहस के दौरान बताया पूर्व में भी इजेंक्शन Fortwin निर्माता कम्पनी रेनबैक्सी का लगभग 34 लाख इजेक्शन का दिनांक 01.04.2014 से 04.02.2015 तक अवैध तरीके से विक्रय किया गया, तथा उक्त इस प्रकरण में श्री हरिश चचंलानी ने जे.एल.एन अस्पताल, अजमेर के फर्जी लेटर पेड तैयार कर रेनबैक्सी कम्पनी को अस्पताल में सप्लाई के फर्जी आदेश तक दिये गये पाये थे। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के सक्षम दिनांक 17.04.2015 को अपील

प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपील को दिनांक 03.06.2015 को खारीज कर दिया था। मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी की मालकीन श्रीमती रितु चंचलानी के पति श्री हरिश चचंलानी पूर्व में मैसर्स हरिश मेडिकल के नाम से दुकान चलाते थे जिसमें जीवन रक्षक औषधि टेबलेट Ceftum (मात्रा शून्य) के अवैध क्रय–विक्रय प्रकरण माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर प्रकरण संख्य 259/99 विचाराधीन है तथा नशे में उपयोग होने वाली औषधि टेबलेट Trika के अवैध क्रय का प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर में प्रकरण संख्या 427/3 विचाराधीन है। नकली जीवन रक्षक औषधि टेबलेट Zifi-200 की एफआईआर संख्या 0317 दिनांक 20.09.2017 अशोक नगर थाना जयपुर में दर्ज है।

अपील मे बहस पूरी की गई। अपील का अवलोकन एवं मनन किया तथा बहस के दौरान सामने आये तथ्यों में मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी की मालकीन श्रीमती रितु चंचलानी के पति श्री हरिश चंचलानी के द्वारा मैसर्स हरिश मेडिकल, अजमेर पर जितने प्रकरण दर्ज है उनकी प्रगति रिपोर्ट औषधि नियंत्रक से मांगी जाये तथा इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को प्रस्तुत किये गये छदम् एवं कुटरचित दस्तावेजों के लिए आई.पी.सी की धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश औषधि नियत्रक, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से सहायक औषधि नियंत्रक अजमेर को निर्देशित किया जाये। औषधि नियत्रक, राजस्थान को यह भी निर्देश दिये जाते है समस्त सहायक औषधि नियत्रक, राजस्थान को निर्देश जारी करें कि श्री हरिश चचंलानी एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य को औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावाली 1945 के तहत औषधि अनुज्ञापत्र जारी नहीं करें। अपील में कोई आधार नहीं होने से सारहीन पायी गई है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी आदेश तर्क सगंत पाया गया। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। संबंधित को सूचित करें।

अपीलीय अधिकारी एवं
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 औषधि नियंत्रक,औषधि नियंत्रण संगठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज. जयपुर।
2 औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर, राज0।
3 मैसर्स हरिश मेडिकल एजेन्सी, फर्स्ट फ्लोर, पंकज मार्केट, अजमेर, राज0।

अपीलीय अधिकारी एवं
शासन सचिव